

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-9
संख्या- /2016/XXVII(9)/मनो0कर-10/2014
देहरादून: दिनांक: 23 अगस्त, 2016

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1979 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 28 सन् 1979) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 11(1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 01 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्य में एरो-स्पोर्टस (यथा हॉट एअर गैस बलूनिंग/पैराग्लाइडिंग/वायुयान द्वारा मनोरंजन के लिए उड़ान आदि) पर लगने वाले मनोरंजन कर को अधिसूचना जारी होने की तिथि से 03 वर्ष तक छूट प्रदान किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्या-144 (1)/2016/XXVII(9)/मनो0कर-10/2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, कर (मनोरंजन कर) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ~~देहरादून~~
3. समस्त सहायक मनोरंजन कर आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी/प्रभारी मनोरंजन कर निरीक्षक, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तराखण्ड रुड़की को अधिसूचना की प्रति इस अनुरोध सहित कि इसे आसाधारण गजट में प्रकाशित करते हुये, 100 प्रतियाँ वित्त अनुभाग-9 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. एन0आई0सी0/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0डी0बेलवाल)

अनु सचिव।

ml/30.8.16

ETO

30/8/16
अनु सचिव